

-: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :-

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 54/2007

उनवान

1. सुरेशचन्द्र
2. श्रीचन्द्र
3. फूलचन्द्र समस्त पुत्रगण हीरालाल जाति यादव (अहीर), निवासी मकान नम्बर 464-ए रामदयाल मौहल्ला, वार्ड नम्बर एक,, नसीराबाद
— वादीगण :-जरियें अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन

बनाम

1. राधा देवी पत्नी मोहनलाल,
2. श्रीराम पुत्र मोहनलाल,
3. रामलखन पुत्र मोहनलाल स्वर्गवास जरियें वारिसान
- 3/1. जानकी देवी पत्नी रामलखन
- 3/2. आशीष
- 3/3. अक्षय
- 3/4. रेखा
- 3/5. आरती
- 3/6. पूजा पि. रामलखन
4. रामभरोसे पुत्र मोहनलाल,
5. मनोज पुत्र मोहनलाल,
6. अनिल पुत्र मोहनलाल समस्त जाति यादव (अहीर), निवासी मकान नम्बर 465 रामदयाल मौहल्ला, वार्ड नम्बर एक,, नसीराबाद
7. पन्नालाल पुत्र गोरधनलाल स्वर्गवास जरियें वारिसान
- 7/1. कलावती पत्नी पन्नालाल मृत तर्क किया गया
- 7/2. नारायण
- 7/3. रम्पता
- 7/4. सुमित्रा पि. पन्नालाल, समस्त जाति यादव (अहीर), निवासी मकान नम्बर 463 रामदयाल मौहल्ला, वार्ड नम्बर एक,, नसीराबाद
8. बाबूलाल पुत्र गोरधन, स्वर्गवास जरियें वारिसान
- 8/1. सायर देवी पत्नी बाबूलाल
- 8/2. जगन्नाथ
- 8/3. शिवराम
- 8/4. दान बहादुर
- 8/5. विजय बहादुर
- 8/6. लाल बहादुर
- 8/7. राजेश पित्र बाबूलाल, समस्त जाति यादव (अहीर), निवासी मकान नम्बर 463 रामदयाल मौहल्ला, वार्ड नम्बर एक,, नसीराबाद
9. जयकिशन पुत्र रेलूमल स्वर्गवास जरियें वारिसान



- 0/1 ईश्वरी देवी पत्नी जयकिशन
 0/2 प्ररुण तिलोकानी पुत्र जयकिशन
 0/3 हेमा ममलानी पुत्री जयकिशन
 0/4 मोनिका पेशवानी पुत्री जयकिशन
 0/5 पूजा मंगवानो पुत्री जयकिशन
 0/6 प्ररुवन तिलोकानी पुत्री जयकिशन, समस्त जाति सिंधी मकान नम्बर 1068
 दूधिया मोहल्ला, नसीराबाद
 10. राजो सरकार जरियतहसीलदार नसीराबाद
 11. तुलसा बाई पत्नी रामदत्त यादव पुत्री मोहनलाल यादव निवासी बारापत्थर, देरादू,
 नसीराबाद, हाल निवासी 2910 मोहन मार्ग तहसील मह, इन्दौर (म.प्र.)
 12. आशा देवी पत्नी सुरेश यादव पुत्री मोहनलाल यादव जाति यादव निवासी
 बारापत्थर, देरादू, नसीराबाद, हाल निवासी 37, लसुडिया, परमार इकाया, इन्दौर
 (म.प्र.)
 13. जनक पत्नी विजय यादव स्वर्गवास जरिये वारिसान
 13/1. विनिजा पत्नी जयसाम पुत्री विजय यादव
 13/2. कविता पत्नी राजेन्द्र यादव पुत्री विजय यादव समस्त जाति यादव, निवासी
 बारापत्थर, देरादू, नसीराबाद, हाल निवासी 2910 मोहन मार्ग तहसील मह,
 इन्दौर (म.प्र.)

प्रतिवादीगण :- 1 से 6 जरिये अधिवक्ता श्री इकबाल मोहम्मद,
 7 जरिये अधिवक्ता श्री सीताराम रावत,
 11 से 13 जरिये अधिवक्ता श्री ओ.पी. भट्ट,
 9 जरिये अधिवक्ता श्री संदीप अग्रवाल
 10 जरिये राज. पैरोकार



वाद पत्र अन्तर्गत धारा 63, 188 सजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:- निर्णय :-

दिनांक :- 25/3/25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बारापत्थर के हाल खसरा नम्बर 702 से 712, 714, 715, 719 से 729 व 713/1346 किता 25 रकबा 4.81 की आराजी वादी व प्रतिवादीगण की पुश्तानी सह खातेदारी व सह काश्तकारी की है। उक्त आराजी में वादीगण का 1/4 हिस्सा है, मोहनलाल का स्वर्गवास हो गया है, जिनके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 1/4 हिस्सा है, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 8 का 1/4 हिस्सा है। आराजी मुतनाजा अविभाजित हैं प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा का विभाजन नहीं करना चाहते हैं। तथा आराजी मुतनाजा पर वादीगण के कब्जे काश्त में देखलदांजी कर रहे हैं। आराजी मुतनाजा को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने उक्त अविभाजित आराजी में से खसरा नम्बर 710, 712, 714 व 713/1346 में से 1/4 हिस्सा जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 18.05.2007 को प्रतिवादी संख्या 9 को बेवान कर दिया है। अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 7 व 8

उपस्थित अधिवक्ता...
 नसीराबाद (जजमेर)

का आराजी मुतनाजा में किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं है। आराजी मुतनाजा व अन्य चल अचल सम्पत्ति के संबन्ध में दिनांक 24.03.1976 को आपसी पारिवारिक समझौते व व्यवस्थानुसार मीटस एण्ड बाउण्डस से वादीगण के पिता हीरालाल, प्रतिवादी संख्या 7 पन्नालाल, प्रतिवादी संख्या 8 बाबूलाल व प्रतिवादी 1 से 6 के पति/पिता मोहनलाल के मध्य लिखित में बंटवारा निष्पादित हो गया है। विभाजन के बाद वादीगण, प्रतिवादी संख्या 7 व 8 अपने-अपने हिस्से कर सम्पत्ति पर काबिज हो गये हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पति/पिता के हिस्से में वादग्रस्त आराजी आयी है जिस पर 1976 से प्रतिवादी संख्या 1 से 6 काबिज है। राजस्व अभिलेख में उक्त विभाजन के आधार पर नामान्तरण प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पति/पिता द्वारा नहीं कराया गया है। उक्त बंटवारे से प्रतिवादी संख्या 7 व 8 व वादीगण भारतीय साक्ष्य अधिनियम 115 के तहत बाध्य है। वादीगण के पिता व प्रतिवादी संख्या 7 ने दिनांक 31.08.1984 को वाद में वर्णित कृषि भूमि के बंटवारे का दीवानी वाद संख्या 187/1984 - 86/84 माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 व श्रीमती जनक दुलारी, कुमारी तुलसा, कुमारी आशा पत्रियों मोहनलाल व प्रतिवादी संख्या 8 के विरुद्ध प्रस्तुत किया था। उक्त वाद में स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि बंटवारानामा दिनांक 24.03.1976 से पूर्व लिखित में निष्पादित कर जायदाद का स्थायी व अस्थायी सम्पत्तियों सहित किया जाकर उक्त वाद में वर्णित कृषि भूमि मोहनलाल के हिस्से में देकर काबिज करा दिया गया। उक्त प्रकरण वादीगण के पिता व प्रतिवादी संख्या 7 ने दिनांक 20.10.1989 को खारिज करा लिया। एक अन्य दीवानी वाद संख्या 38/84 श्रीमान मुसिफ नसीराबाद वर्तमान में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड नसीराबाद में वादीगण के पिता व प्रतिवादी संख्या 7 ने प्रतिवादी संख्या 8 व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरुद्ध प्रस्तुत किया था उसके साथ विविध दीवानी वाद संख्या 43/84 अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया उक्त प्रकरण दिनांक 28.08.1984 को अस्वीकार कर खारिज किया जा चुका है। दिवानी वाद दिनांक 10.12.1990 को खारिज किया जा चुका है। आराजी मुतनाजा अविभाजित व संयुक्त खातेदारी की नहीं होकर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की है। आराजी मुतनाजा पर वादीगण को कोई हक व अधिकार नहीं है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 7 ने अने जवाब में वाद के तथ्यों को स्वीकार कर विभाजन करने का निवेदन किया।

प्रतिवादी संख्या 9 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा पर नेशनल हाईवे बन जाने के कारण भूमि मूल्यवान हो गयी है इस कारण वादीगण की नियत में खोट आ गया है। राजस्व अभिलेख में दर्ज इन्द्राज का अनुचित लाभ उठाने की बदनियति से वादीगण ने उक्त वाद पेश किया है। आराजी मुतनाजा विभाजन में वादीगण के हिस्से में नहीं आयी है। जवाबकर्ता कयशुदा आराजी पर कय दिनांक से ही काबिज है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 8 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त आराजी मुतनाजा व अन्य सम्पत्तियों को दिनांक 01.06.1976 को आपसी रहमती से वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 7 व 8 व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पति/पिता के मध्य में लिखित में किया जा चुका है। उक्त दिनांक से ही प्रतिवादीगण व वादीगण अपने हिस्से में आयी भूमि व सम्पत्ति पर काबिज चले आ रहे हैं। पक्षकारान के मध्य 1976 में ही बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन हो चुका है। वादीगण के पिता व प्रतिवादी संख्या 7 ने दिनांक 31.08.1984 को वाद में वर्णित कृषि भूमि के बंटवारे का दीवानी वाद संख्या 187/1984 - 86/84 माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 व श्रीमती



बाउण्डस विभाजन हो चुका है। वादीगण के पिता व प्रतिवादी संख्या 7 ने दिनांक 31.08.1984 को वाद में वर्णित कृषि भूमि के बंटवारे का दीवानी वाद संख्या 187/1984 - 86/84 माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 व श्रीमती जनक दुलारी, कुमारी तुलसा, कुमारी आशा पुत्रियों मोहनलाल व प्रतिवादी संख्या 8 के विरुद्ध प्रस्तुत किया था। उक्त वाद में स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि बंटवारानामा दिनांक 24.03.1976 से पूर्व लिखित में निष्पादित कर जायदाद का स्थायी व अस्थायी सम्पतियों सहित किया जाकर उक्त वाद में वर्णित कृषि भूमि मोहनलाल के हिस्से में देकर काबिज करा दिया गया। उक्त प्रकरण वादीगण के पिता व प्रतिवादी संख्या 7 ने दिनांक 20.10.1989 को खारिज करा लिया। एक अन्य दीवानी वाद संख्या 38/84 श्रीमान मुसिफ नसीराबाद वर्तमान में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड नसीराबाद में वादीगण के पिता व प्रतिवादी संख्या 7 ने प्रतिवादी संख्या 8 व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरुद्ध प्रस्तुत किया था उसके साथ विविध दीवानी वाद संख्या 43/84 अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया उक्त प्रकरण दिनांक 28.08.1984 को अस्वीकार कर खारिज किया जा चुका है। दिवानी वाद दिनांक 10.12.1990 को खारिज किया जा चुका है। आराजी मुतनाजा अविभाजित व संयुक्त खातेदारी की नहीं होकर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की है। आराजी मुतनाजा पर वादीगण को कोई हक व अधिकार नहीं है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे।

अधिवक्ता वादीगण ने जवाबुल जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा का पारिवारिक विभाजन 1.6.1976 को नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के द्वारा आराजी मुतनाजा में से हाल खसरा नम्बर 710, 712, 714, व 713/1346 की भूमि में से 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 18.05.2007 को बैचान किया हैं। उक्त विक्रय पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने आराजी मुतनाजा में अपना 1/4 हिस्सा स्वीकार किया है। उक्त आराजी वंकिंग जमाबंदी में चारों भाईयाके नाम सह खातेदारी दर्ज थी। राजमार्ग के लिये 1990 में भूमि अवाप्त होने पर वीगण के पिता को अपने 1/4 हिस्से का मुआवजा दिया गया था। वादीगण के पिता की मृत्यु के बाद उनकी विरासत नामान्तरण संख्या 159 दिनांक 05.01.1993 से वादीगण के नाम दर्ज की गयी। उक्त नामान्तरण के विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने कोई चाराजोही नहीं की है। दिवानी वाद संख्या 187/1984 व 86/84 की कोई जानकारी वादीगण को नहीं हैं। अन्य दिवानी वाद संख्या 38/84 आराजी मुतनाजा से संबधित नहीं था। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकी कायम की गयी :-

1. आया दावाकृत भूमि वादीगण व प्रतिवादी 1 लगायत 8 की सह खातेदारी भूमि होने से वादीगण बंटवारा करवाने के अधिकारी है ?

— वादी

2. आया वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति के अधिकारी है ?

— वादी

3. आया वादग्रस्त आराजी का बंटवारा दिनांक 01.06.1976 को हो चुका है, अतः वाद खारिज योग्य है ?

— प्रतिवादी

4. आया बंटवारानामा दिनांक 01.06.1976 द्वारा स्व. हीरालाल द्वारा स्व. मोहनलाल के हक में परित्याग कर देने का सहमती व अनापत्ति विलेख है ?

— प्रतिवादी



—5
उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

5. आया प्रतिवादी पत्र की चरण संख्या 20 के अनुसार प्रतिवादीगण का कब्जा कानूनी रूप से परिपक्व व एक्सोल्यूट हो गया है, यदि हाँ तो इसका क्या प्रभाव है ?
— प्रतिवादी 9
6. आया प्रतिवादी पत्र अनुसार वादीगण बेवट के सिद्धांत से बाधित है ?
— प्रतिवादी 9
7. आया वाद धारा 115 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत निबंधित है ?
— प्रतिवादी 9
8. आया वाद के निस्तारण का क्षेत्राधिकार हाजा न्यायालय को नहीं है ?
— प्रतिवादी 9
9. आया वाद मियाद बाहर है ?
— प्रतिवादी 9
10. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख, विक्रय पत्र पेश किये। व वादी सुरेशचन्द व गवाह मांगीलाल के शपथ पत्र पेश किये।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने सिविल वाद की प्रमाणित प्रति, पारिवारिक समझौता पेश किया तथा जगन्नाथ व प्रहलाद का शपथ पत्र पेश किया।

वाद विचारण के दौरान माननीय राजस्व मण्डल के आदेश की पालना में प्रतिवादी संख्या 11 से 13 को प्रकरण में पक्षकार बनाया गया। प्रतिवादी संख्या 11 से 13 ने प्रकरण में जवाब नहीं पेश कर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के जवाब को ही स्वीकार किया। साथ ही मृत पक्षकार के वारिसान को अभिलेख पर लिया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 9 व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने प्रकरण में लिखित बहस प्रस्तुत कीं। अधिवक्ता वादीगण ने प्रकरण में आरआरटी 2009-10 पेज 297 से 303, आरआरटी 2007 पेज 659 से 661, आरआरटी 2014-15 पेज 677 से 68, आरएलडब्ल्यू 1874 राज. उच्च न्यायालय पेज 1874 से 1880, आरआरटी 2006 पेज 45 तथा अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने एआईआर उच्च न्यायालय 2006 पेज 151 से 161 व पेज 3304 से 3328 कर नजीर पेश की।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत नजीरों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

तनकी संख्या 1 :-

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्रान बारापत्थर के हाल खसरा नम्बर 702 से 712, 714, 715, 719 से 729 व 713/1348 कित्ता 25 रकबा 4.81 की आराजी वादी व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी सह खातेदारी व सह काश्तकारी की है। राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा उभयपक्ष की सह खातेदारी में दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के पूर्वज गोरधनलाल थे। जिनके 4 पुत्र क्रमशः हीरालाल, मोहनलाल, पन्नालाल व बाबूलाल हुये हीरालाल का स्वर्गवास हो गया है जिसके वारिस वादीगण है। मोहनलाल के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 6 है। पन्नालाल व बाबूलाल प्रतिवादी संख्या 7 व 8 है। वादीगण द्वारा जवाबुल जवाब पेश करने से पूर्व दोनो पक्षों के मध्य पूर्व में हुये पारिवारिक समझौते/बंटवारानामा का उल्लेख अपने वाद पत्र में नहीं किया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 व 8 ने अपने जवाब में अंकित किया कि आराजी मुतनाजा व अन्य चल अचल सम्पत्ति के संबध में दिनांक 24.03.1976 को आपसी पारिवारिक समझौते व व्यवस्थानुसार मीटस एण्ड बाउण्डस से वादीगण के पिता हीरालाल



प्रतिवादी संख्या 7 पन्नालाल, प्रतिवादी संख्या 8 बाबूलाल व प्रतिवादी 1 से 6 के पति/पिता मोहनलाल के मध्य लिखित में बंटवारा निष्पादित हो गया है। विभाजन के बाद वादीगण, प्रतिवादी संख्या 7 व 8 अपने-अपने हिस्से की सम्पत्ति पर काबिज हो गये हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पति/पिता के हिस्से में वादग्रस्त आराजी आयी है जिस पर 1976 से प्रतिवादी संख्या 1 से 6 काबिज है। ऐसी स्थिति में न्यायालय को मुख्य रूप से यह तय करना है कि आराजी मुतनाजा व अन्य सम्पत्ति बाबत उभयपक्ष में विभाजन हो गया है अथवा नहीं ? आराजी मुतनाजा निर्विवाद रूप से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की सह खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने उक्त आराजी में से खसरा नम्बर 710, 712, 714 व 713/1346 में से 1/4 हिस्सा जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 18.05.2007 को प्रतिवादी संख्या 9 को बेचान कर दिया है। किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दिनांक 24.03.1976 के आपसी पारिवारिक समझौता अनुसार आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के हिस्से में आयी है। पन्नालाल प्रतिवादी संख्या 7 के हिस्से में शामलाती परिवार के सभी जानवर, बाबूलाल के हिस्से में दुकान आयी तथा वादीगण के पिता हीरालाल को प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पिता द्वारा 8500/ रुपये अक्षरे आठ हजार पांच सौ रुपये समझौते अनुसार भुगतान किये गये हैं। उक्त सभी तथ्य की ताईद वादी व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत गवाह की जिरह से भी होती है। हाजा न्यायालय द्वारा उक्त समझौते पत्र जो की छाया प्रति है, को रिकार्ड पर नहीं लिया गया था। किन्तु माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 9.7.24 द्वारा हाजा न्यायालय को निरस्त कर उक्त पारिवारिक समझौता को रिकार्ड पर लेने के आदेश पारित किये गये तथा यह भी आक्षेपित किया कि दस्तावेज की विश्वसनीयता व सत्यता की जाँच परीक्षण स्तर पर की जानी चाहिये। वादीगण द्वारा उक्त आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है। साथ ही वादीगण द्वारा उक्त दस्तावेज के खण्डन में कोई अन्य दस्तावेज पेश नहीं किया है। उक्त दस्तावेज में चारों भाईयों के हस्ताक्षर हैं। दस्तावेज 1976 का है अर्थात् लगभग 49 वर्ष पूर्व का होने के कारण व उसको लिखने वाले प्रहलाद पुत्र गोपीनाथ द्वारा दस्तावेज की ताईद करने के कारण भी दस्तावेज की सत्यता से इंकार नहीं किया जा सकता है। प्रहलाद पुत्र गोपीनाथ की जिरह जो कि वादी अधिवक्ता द्वारा की गयी के अनुसार चारों भाईयों के कहने पर उसके द्वारा उक्त दस्तावेज लिखा गया। उसके द्वारा यह भी स्वीकार किया है कि दस्तावेज की लिखित के समय चारों भाई मौजूद थे व चारों भाईयों द्वारा दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये गये। उसके द्वारा अपने बयान में दुकान पर बाबूलाल के काबिज होने की बात भी कही है। इसके अतिरिक्त आराजी मुतनाजा के सह खातेदार व गोरधन लाल के पुत्र बाबूलाल द्वारा अपने जवाब में उक्त बंटवारानामा होने को स्वीकार किया है। उनका यह भी कथन है कि विभाजन के अनुसार ही सभी भाई/वारिस अपने-अपने हिस्से में आयी सम्पत्ति पर काबिज है। साथ ही उनके द्वारा पूर्व में विभाजन होने के कारण वाद का खण्डन किया है। आराजी मुतनाजा बाबूलाल के नाम भी सह खातेदारी दर्ज है किन्तु उसके द्वारा भूमि पर विभाजन अथवा हिस्से की मांग नहीं कर पूर्व में हुये पारिवारिक समझौते को स्वीकार किया है। प्रतिवादी संख्या 8 बाबूलाल के पुत्र जगन्नाथ द्वारा भी अपनी जिरह में 1976 के पारिवारिक समझौते व विभाजन को स्वीकार किया है। उसके द्वारा अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि विभाजन के अनुसार ही सभी अपनी-अपनी सम्पत्ति पर काबिज है। विभाजन के अनुसार दुकान पर बाबूलाल के वारिसों का कब्जा बताया है। उसके द्वारा आराजी मुतनाजा कृषि भूमि पर सभी का कब्जा होने से भी इंकार किया गया है। उक्तानुसार प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज के परीक्षण से उक्त दस्तावेज की सत्यता सिद्ध होती है। प्रकरण में वादीगण द्वारा भी वादी सुरेश व मांगीलाल पुत्र



दौलतराम के बयान कराये। वादी सुरेश ने भी अपने बयान में स्वीकार किया है कि उसके द्वारा होटल में 20 साल ये कार्य किया जा रहा है। उसके भाई श्रीचन्द की भी दुकान होना स्वीकार किया है। अपने चाचा पन्नालालके लिये वादी गवाह ने जानवर चराने का कार्य करना बताया है। गवाह का कहना है कि पन्नालाल जी 50 वर्ष से जानवर चराते हैं। अपने पिता के बारे में भी गवाह का कहना है कि उसके पिता हीरालाल की मृत्यु लगभग 1987 में हुयी थी तथा उसके पिता मृत्यु से पूर्व होटल चलाते थे। उस पर आज उसका भाई श्रीचन्द है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विभाजन के अनुसार ही पन्नालाल जिसके हिस्से में जानवर आये उसके द्वारा जानवर चराने का कार्य किया जाता रहा है। व वादीगण व उसके पिता द्वारा भी उक्त आराजी पर कृषि कार्य नहीं किया गया। सुरेशचन्द द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि बाबूलाल जी व उसके पुत्र भी कृषि कार्य नहीं कर कर अन्य दिगर कार्य करते हैं। उसके द्वारा बंटवारानामा लिखने वाले प्रहलाद पुत्र गोपीनाथ की पहचान उसके पडौसी के रूप में की है। सुरेश ने अपने बयान में यह भी स्वीकार किया है कि उसने व उसके भाईयों ने 1980 तक ही उक्त आराजी पर खेती की है। अर्थात् 1980 के बाद से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 7 व 8 उक्त आराजी पर खेती नहीं करके पारिवारिक विभाजन में आयी अन्य सम्पति का उपयोग-उपभोग कर अपनी आजीविका चला रहे हैं। वादी सुरेश ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके पिताजी उनकी मृत्यु तक दूध बेचने का काम करते थे। तथा पिताजी की मृत्यु के बाद सुरेश ने भी दूध बेचने का कार्य करना स्वीकार किया है। साथ ही उसके द्वारा अपनी जिरह में यह भी कथन किया है कि विवादित भूमि पर उसके द्वारा खेती नहीं की जा रही है। मोहनलाल द्वारा आराजी मुतनजा पर अपने जीवनकाल में कृषि सुधार हेतु बिजहली का कनेक्शन लगाया था वउसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 से 6 आराजी मुतनाजा परर कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं।

उक्त तनकी में मुख्य रूप से यह बिन्दु तय करना है कि वादीगण आराजी मुतनाजा वर विभाजन प्राप्त करने के अधिकारी है अथवा नहीं। राजस्व अभिलेख में भूमि उभयपक्ष की सहखातेदारी में है। किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध 1976 का दस्तावेज व गवाह की जिरह से स्पष्ट होता है कि उक्त दस्तावेज 1976 को वादीगण व प्रतिवादीगण/पूर्वज द्वारा अपसी सहमती से लिखवा कर विभाजन में आयी अपनी-अपनी सम्पति, जानवर, रूपयों को प्राप्त कर तत्समय से ही उनका उपयोग-उपभोग कर रहे हैं। समझौता पत्रपर चारों भाईयों हस्ताक्षर होना भी सिद्ध है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित आदेश में आक्षेपित किया कि दस्तावेज की विश्वसनीयता व सत्यता की जाँच परीक्षण स्तर पर की जानी चाहिये। न्यायालय द्वारा गवाह के बयान/जिरह से उक्त दस्तावेज कर सत्यता व विश्वसनीयता की जाँचकी जा चुकी है, जिसमें दस्तावेज सत्य व प्रमाणिक सिद्ध होता है। वादीगण द्वारा उक्त आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है। उक्त दस्तावेज फर्जी होने का कोई प्रमाण पेश नहीं किया है, ना ही किसी प्रकार की कोई फौजदारी कार्यवाही उनके द्वारा आज दिवस तक की गयी है। वादीगण द्वारा उक्तत दस्तावेज के खण्डन में कोई अन्य दस्तावेज पेश नहीं किया है। वादीगण का यह भी कथन है कि उक्त दस्तावेज छाया प्रति व अपंजीकृत है। किन्तु माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा उक्त दस्तावेज अभिलेख पर लेने के आदेश पारित किये हैं। प्रतिवादी द्वारा उक्त दस्तावेज प्रदर्शित कर गवाह से सत्यापित भी करवाया है। दस्तावेज 49 वर्ष पुराना है जिसमें साधारण रूप से संयुक्त परिवार की समस्त चल-अचलल सम्पति का आपसी सहमती से विभाजन किया गया है। उक्त दस्तावेज में किसी प्रकार के पारिवारिक समझौते के निबन्धनों को नहीं लिखा गया है ना ही उक्त दस्तावेज में किस प्रकार की शर्तों का उल्लेख है। विभिन्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश अनुसार भी पारिवारिक



समझौते का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक नहीं है। प्रकरण में चारों भाईयों व उनके वारिसों द्वारा 1976 से ही पारिवारिक समझौते में आयी चल-अचल सम्पतियों का आपसी सहमती से उपयोग-उपभोग किया जा रहा है। इतने वर्ष बाद अन्य सम्पतियों व भुगतान की गयी राशि को नजरअंदाज कर मात्र कृषि भूमि का विभाजन करना न्यायोचित नहीं है। प्रकरण में समझौते के अनुसार लेन-देन नहीं होकर मात्र आपसी सहमती से सम्पति का विभाजन किया गया है अतः उक्त विभाजन पर इतने वर्षों बाद बिना किसी कारण के दखल करना भी विधि की मंशा के अनुरूप नहीं है। वादीगण के पिता हीरालाल व प्रतिवादी संख्या 7 पन्नालाल द्वारा पूर्व में भी आराजी मुतनाजा व अन्य शामलाती सम्पतियों के विभाजन हेतु दिनांक 31.08.1984 को दीवानी वाद संख्या 187/1984 - 86/84 माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 व श्रीमती जनक दुलारी, कुमारी तुलसा, कुमारी आशा पुत्रियों मोहनलाल व प्रतिवादी संख्या 8 के विरुद्ध प्रस्तुत किया था। उक्त वाद पत्र की पैरा संख्या 6 में भी 1976 के पारिवारिक विभाजन पत्र की बात को स्वीकार किया है, जिसका विस्तृत विवेचन अन्य तनकी में किया जायेगा। साथ ही प्रकरण में समस्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पिता को ही विभाजन में दी गयी है। अतः भूमि के बाई मीटस एण्ड बाउण्डस की बाध्यता भी नहीं है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का आराजी मुतनाजा पर कब्जा काशत नहीं है। भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के हिस्से की है तथा वादी व प्रतिवादी 1 से 6 के पिता के भाई प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा भी विभाजन व कब्जों की बात को स्वीकार किया है। अतः वादीगण विभाजन प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। तनकी विरुद्ध वादीगण निर्णित की जाती है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजीर चस्या नहीं पायी जाती है।

तनकी संख्या 2 :-

तनकी संख्या 1 के ववेचन के अनुसार आराजी मुतनाजा पर वादीगण का कब्जा काशत नहीं है। वादीगण उक्त आराजी पर विभाजन प्राप्त करने के अधिकारी भी नहीं है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 7 व 8 को पूर्व में अन्य अचल सम्पतियों का कब्जा दिया जा चुका है, जिसका उपयोग-उपभोग उनके द्वारा निरन्तर किया जा रहा है। आराजी मुतनाजा पर वादीगण को कोई हक व अधिकार शेष नहीं रहा है। अतः वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। तनकी विरुद्ध वादीगण सिद्ध हाती है।

तनकी संख्या 3 :-

वादीगण ने उक्त वाद में आराजी मुतनाजा को पुश्तैनी व सहखातेदारी का बताते हुये मुख्यतः विभाजन का अनुतोष चाहा है। वही प्रतिवादीगण ने वादी के अपने जवाब, साक्ष्य व दस्तावेज से वाद का खण्डन कर निवेदन किया है कि आराजी मुतनाजा व अन्य चल अचल सम्पति के संबध में दिनांक 24.03.1976 को आपसी पारिवारिक समझौते व व्यवस्थानुसार मीटस एण्ड बाउण्डस से वादीगण के पिता हीरालाल, प्रतिवादी संख्या 7 पन्नालाल, प्रतिवादी संख्या 8 बाबूलाल व प्रतिवादी 1 से 6 के पति/पिता मोहनलाल के मध्य लिखित में बंटवारा निष्पादित हो गया है। विभाजन के बाद वादीगण, प्रतिवादी संख्या 7 व 8 अपने-अपने हिस्से कर सम्पति पर काबिज हो गये है। विभाजन के मृख्य तथ्य का निर्धारण तनकी संख्या 1 में विस्तृत रूप से किया जा चुका है। वादीगण के पिता व प्रतिवादी संख्या 7 ने दिनांक 31.08.1984 को वाद में वर्णित कृषि भूमि के बंटवारे का दीवानी वाद संख्या 187/1984 - 86/84 माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 व श्रीमती जनक दुलारी, कुमारी तुलसा, कुमारी आशा पुत्रियों मोहनलाल व प्रतिवादी संख्या 8 के विरुद्ध प्रस्तुत किया था। उक्त वाद में स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि बंटवारानामा दिनांक 24.03.1976 से पूर्व



OX

न्यायोचित नहीं है। विद्वान अधिवक्ता पवादी द्वारा प्रस्तुत नजीर प्रकरण में चरखा नहीं पायी जाती है। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजीर चरखा पायी जाती है। तनकी संख्या 3 बहक प्रतिवादीगण विरुद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4 :-

पूर्व तनकियात के विवेचन के अनुसार यह सिद्ध हो चुका है कि 1976 को हुये पारिवारिक बंटवारे की लिखत के अनुसार 1976 में ही आराजी मुतनाजा चारों भाईयों की सहमती से प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पिता मोहनलाल के हिरसे में आयी थी। उक्त दस्तावेज पर वादीगण के पिता हीरालाल, प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पिता मोहनलाल, प्रतिवादी संख्या 7 व 8 पन्नालाल व बाबूलाल के हस्ताक्षर हैं। उक्त दस्तावेज लिखने वाले प्रहलाद पुत्र गोपीनाथ ने भी अपने बयान में दस्तावेज लिखना व चारों भाईयों के द्वारा हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है। वादीगण द्वारा उक्त दस्तावेज को सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है। ना ही उक्त दस्तावेज के विरुद्ध कोई फौजदारी कार्यवाही की है। दस्तावेज छाया प्रति होने के बावजूद विभिन्न न्यायिक दृष्टांत व प्रकरण के न्यायिक निस्तारण के उद्देश्य से माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा उक्त दस्तावेज अभिलेख पर लेने के आदेश पारित किये हैं। अन्य न्यायिक दृष्टांत के अनुसार

Kale and others v/s deputy director consolidation 1976 sc
* family arrangements should be given full effect to promote peace in families * दस्तावेज की सत्यता निर्धारण के बाद हीरालाल पुत्र गोरधन व उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिस वादीगण बंटवारेनामें में किये गये विभाजन से बाध्य है।

वादीगण व उनके पिता का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार शेष नहीं है। अतः आराजी मुतनाजा मोहनलाल पुत्र गोरधनलाल व उसकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के हक व अधिकार की सिद्ध होती है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने अपने जवाब में आराजी मुतनाजा पर खातेदारी का अनुतोष चाहा है। दिनांक 24.03.1976 के निष्पादित लिखित बंटवारे के अनुसार वादीगण प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार शेष नहीं रहा है। प्रतिवादी संख्या 11 से 13 मोहनलाल की पुत्रिया है। किन्तु उनके द्वारा प्रकरण में पृथक से जवाब पेश नहीं कर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के जवाब को ही स्वीकार किया है। अतः आराजी मुतनाजा को प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम अंकित करने हेतु पर्याप्त कारण प्रकरण में सिद्ध होते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 आराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। तनकी संख्या 4 बहक प्रतिवादी विरुद्ध वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 5 :-

प्रकरण में वादीगण ने अपने वाद व प्रतिवादी संख्या 7 ने अपने जवाब में पूर्व में किसी प्रकार का विभाजन होने से इंकार करते हुये भूमि के विधिवत विभाजन की प्रार्थना की हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 6, प्रतिवादी संख्या 8 व प्रतिवादी संख्या 9 ने पृथक-पृथक जवाब पेश किये हैं किन्तु उनके जवाब कथन मुख्यतः समान ही है। 1976 को सम्पादित बंटवारानामा की वास्तविक रूप से क्रियान्विति 1976 को ही हो गयी है। जो सम्पति जिस पक्ष के पास आयी उस पर उसे तत्समय ही काबिज कर दिया गया। उक्त कब्जे व आधिपत्य के विरुद्ध पूर्व में एक सिविल वाद द्वारा उज्ज प्रस्तुत किया गया था, जिसको दिनांक 20.10.1989 को खारिज किया जा चुका हैं। उक्त वाद पर वादीगण के पिता द्वारा अथवा वादीगण द्वारा आज दिवस तक कोई कार्यवाही नहीं की है। प्रश्नगत प्रकरण के माध्यम से वर्ष 2007 में पुनः निराधार ऐतराज पेश किया है। अर्थात् सिविल वाद के 18 वर्ष बाद पुनः समान तथ्यों पर भिन्न न्यायालय में वाद पेश किया गया। वादीगण को समस्त तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद भी अपने वाद में पूर्व

—10

ax

उपस्युद्ध अधिकारी
नसीमशाह (अजमेर)

सिविल वाद का कोई ब्योरा नहीं दिया गया। वादी सुरेश ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वर्ष 1980 के बाद से उसने व उसके भाईयो ने आराजी मुतनाजा पर खेती नहीं की है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का आराजी मुतनाजा पर कब्जा वर्ष 1976 से चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के कब्जे के तथ्य की जानकारी होने के बाद भी वादीगण अथवा उनके पिता ने उक्त आराजी पर कब्जा प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का कब्जा 30 वर्ष से अधिक अवधि का होने के कारण कानूनी रूप से परिपक्व व एबसोल्यूट हो गया है। वादीगण का आराजी मुतनाजा पर विभाजन प्राप्त करने का कोई अधिकार शेष नहीं रहा है। तनकी संख्या 5 विरुद्ध वादीगण बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 6 व 7 :-

वादीगण के पिता व प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा पूर्व में दायर सिविल वाद में 1976 को निष्पादित उक्त पारिवारिक समझौता पत्र के होने का तथ्य अंकित किया है किन्तु वादीगण व प्रतिवादी संख्या 7 प्रश्नगत वाद व जवाब वाद पत्र में उक्त समझौते के तथ्य स इंकार किया है। किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध 1976 के पारिवारिक बंटवारे/समझौते की सत्यता सिद्ध हो चुकी है। वादी व प्रतिवादी के बयान से उक्त दस्तावेज का अस्तित्व व सत्यता निर्धारित की जा चुकी है। दस्तावेज 49 वर्ष पुराना है तथा गवाह के बयान व जिरह से उसकी सत्यता सिद्ध होती है। अतः दस्तावेज का पंजीबद्ध होना आवश्यक नहीं है। दस्तावेज में अंकित विभाजन के अनुसार ही समस्त पक्षकारान द्वारा अपनी सम्पति का उपयोग वर्ष 1976 से आज दिवस तक निर्बाध रूप से किया जा रहा है। अतः तनकी बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 8 :-

वादीगण द्वारा उक्त वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर आराजी मुतनाजा के विभाजन व प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। उक्त धारा व वांछित अनुतोष को सुनवाई का श्रेत्राधिकार हाजा न्यायालय को है। किन्तु वादीगण के पिता द्वारा पूर्व में आराजी मुतनाजा व अन्य चल-अचल सम्पति के विभाजन हेतु सिविल न्यायालय में वाद दायर किया था। उक्त वाद गुणावगुण पर निर्णित हुये बिना 20.10.1989 को खारिज किया जा चुका है। उक्त वाद के खारिज होने के बाद वादीगण के पिता द्वारा अथवा वादीगण द्वारा आज दिवस तक कोई कार्यवाही नहीं की है। प्रश्नगत प्रकरण के माध्यम से वर्ष 2007 में पुनः निराधार ऐतराज पेश किया है। अर्थात् सिविल वाद के 18 वर्ष बाद पुनः समान तथ्यों पर भिन्न न्यायालय में वादी पेश किया गया। वादीगण को समस्त तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद भी अपने वाद में पूर्व सिविल वाद का कोई ब्योरा नहीं दिया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आये है। प्रकरण में वादी आराजी मुतनाजा पर विभाजन व प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः उक्त तनकी के पृथक से विवेचन की आवश्यकता नहीं है।

तनकी संख्या 9 :-

तनकी संख्या 8 में अंकित तथ्य के अनुसार वादीगण द्वारा उक्त वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर आराजी मुतनाजा के विभाजन व प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। यद्यपि धारा 53 की कोई समय सीमा नहीं है किन्तु धारा 188 राजस्थान काश्तकारी की समय सीमा 3 वर्ष निर्धारित है। वादीगण ने अपने वाद की चरण संख्या 14 में प्रतिवादी संख्या 9 के विरुद्ध वाद कारण दिनांक 18.05.2007 व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के विरुद्ध



वाद कारण दिनांक 14.05.2007 अंकित की है। किन्तु पूर्व तनकियात के विवेचन के अनुसार वादीगण का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं हैं। वादीगण विभाजन प्राप्त करने के अधिकारी भी नहीं है। अतः उनके द्वारा अंकित वाद कारण भी सिद्ध नहीं होता है। पूर्व में सिविल वाद के निर्णय के विरुद्ध कोई चाराजोही नहीं करने के कारण पुनः समान तथ्यों के आधार पर वादीगण को वाद में वांछित अनुतोष प्रदान नहीं करने के कारण मियाद बिन्दु को विस्तृत विवेचन नहीं कर इसी स्तर पर विरुद्ध वादीगण निर्धारित किया जाता है।

उक्तानुसार ग्राम बारापत्थर की आराजी मुतनाजा पर वादीगण का वाद "खारिज" प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का प्रतिदावा "स्वीकार" किया जाता है। ग्राम बारापत्थर के हाल खाता संख्या 123/126 किता 21 रकबा 4.15 व खाता संख्या 124/127 किता 4 रकबा 0.66 की आराजी पर वादीगण, प्रतिवादी संख्या 8, पार्वती पत्नी हीरालाल, कलावती पत्नी पन्नालाल, नारायण, रमा, सुमित्रा पि. पन्नालाल के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद



डिकी व मुकदमें इबाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

सुरेश वगै. बनाम राधा देवी वगै.

दावा बाबत :- 53, 188 राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर -54/2007

पेश करने की दिनांक -05.06.2007

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रुबरु देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक नौरतमल जैन मुदई इकबाल मोहम्मद, सीताराम रावत, ओमप्रकाश भट्ट, संदीप अग्रवाल व राज० पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :-

ग्राम बारापत्थर की आराजी मुतनाजा पर वादीगण का वाद "खारिज" प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का प्रतिदावा "स्वीकार" किया जाता है। ग्राम बारापत्थर के हाल खाता संख्या 123/126 किता 21 रकबा 4.15 व खाता संख्या 124/127 किता 4 रकबा 0.66 की आराजी पर वादीगण, प्रतिवादी संख्या 8, पार्वती पत्नी हीरालाल, कलावती पत्नी पन्नालाल, नारायण, रमा, सुमित्रा पि. पन्नालाल के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक----- को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 25 माह 3 सन् 2025 को जारी की गयी।



मुददई

मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद